

वीर एंड स्काउट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - नूतन प्राई
पत्र सं. - 14

INDIAN COUNCILS ACT, 1909

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

(मार्ले मिरो सुधार)

लार्ड मार्ले - भारत सचिव

लार्ड मिरो - भारत का गवर्नर जनरल / वायसराय

1909 का यह अधिनियम भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमांकित माना जाता है। 1892 के अधिनियम की अपेक्षा अधिक प्रगति का सूचक, भारतीयों को विधि-निर्माण तथा निष्पक्ष-प्रति प्रशासन में शामिल करने का प्रयास, बंदूक और सिखा फौजी विभाजित परिषद के सदस्यों एवं शक्ति में वृद्धि वायसराय की कार्यकारी में भारतीयों की अनुक्ति।

सीमित मताधिकार, परोक्ष निर्वाचन और भारत में प्रथम विधान सभे का आरंभ।

केंद्रीय विधान मंडल का विस्तार

सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई

37 - सरकारी सदस्य

32 - गैर सरकारी सदस्य

37 सदस्यों में -

1- गवर्नर जनरल

6- गवर्नर जनरल के कार्यकारी के आचार्य सदस्य

1- असाधारण (Extra-ordinary) Member

1- निम्न छत में भीड़ों होती उच्च गवर्नर

(कुल 9) (37-9 = 28 सदस्य)

28 सदस्य - गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत